

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
समक्ष:- एस0 एस0 अली  
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1766-एक/2007 के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक  
15-10-2007 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक  
737/अपील/ 2006-07

श्रीमती श्यामकली सिंह पुत्री स्व0 श्री महावीर सिंह  
पत्नी श्री दिग्विजय सिंह निवासी साकित नीमा  
तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

— आवेदिका

विरुद्ध

श्रीमती रामकली पत्नी श्री बृजराज सिंह  
निवासी साकिम जोरोट तहसील मऊगंज  
जिला रीवा म0प्र0

— अनावेदिका

.....  
श्री मुकेश भार्गव , अभिभाषक, आवेदक  
श्री आर0 एस0 सेंगर अभिभाषक, अनावेदक

.....  
आदेश

(आज दिनांक 23/11/2016 को पारित )

h

M


यह निगरानी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (अत्र पश्चात् संहिता) की धारा 50 के अधीन अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 738/अपील/2006-07 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि नायव तहसीलदार गोबिन्दगढ़ के द्वारा दिनांक 6.1.04 को नामांतरण आदेश अपीलार्थी के पक्ष में पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की वहां पर अपील स्वीकार हुई जिससे दुखित होकर यह द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 15.10.07 को निरस्त की गई। इसी के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क था कि महत्वपूर्ण बिन्दु बिचारणीय हे क्या अपील समय वाधित थी? क्या वसीयतनामा का परीक्षण किया गया? क्या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया गया? उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदिका द्वारा सहमति के बाद भी समयवाधित अपील प्रस्तुत की थी तथा म्याद अधिनियम की धारा -5 का आवेदन पत्र में बिलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने म्याद पर न तो कोई आदेश पारित किया गया। आवेदक ने अपने तर्क में कहा गया है कि वसीयतनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है तथा उस वसीयतनामा के गवाहों के द्वारा वसीयत नामा प्रमाणित कराया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय निकाला है कि वसीयतनामा की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपने तर्क में कहा गया है कि वसीयतनामा निरस्त नहीं किया जा सकता। वसीयतनामा को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया गया है वह साक्ष्य अधिनियम के धारा 68 के प्रतिकूल है और निरस्त किये जाने योग्य है।

4-अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मूल नामांतरण पंजी में इस्तहार जारी किया गया है लेकिन यह इस्तहार किस दिनांक को जारी किया गया है तिथि अंकित नहीं हैं इसके अलावा रामसखी को पक्षकार बनाया गया है किन्तु रामसखी के पंजी में कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं है। जबकि विवादित आराजी उभयपक्ष के पिता की थी तो अनावेदिका भी हितबद्ध पक्षकार थी। इसलिये उसे भी पक्षकार बनाया जाना चाहिये था तथा उसे भी अपना पक्ष रखने के पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये था। कोई भी नामांतरण आदेश हितबद्ध पक्षकार को सुनने व विधिवत इस्तहार प्रकाशित किये बिना नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने यही निर्णय निकाला है जो पूर्णतः उचित है। परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी खरिज की जाती है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतयावर्तित किया जाता है कि वसीयत प्रमाणित है अथवा अप्रमाणित है के बिन्दु पर परीक्षण कर गुण-दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे।

  
(एस० एस० अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश  
ग्वालियर